



UPKU100009022022

न्यायालय J.M./Ist Addl. Civil Judge (Jr. Div.) Kasia Kushinagar, Kushi Nagar

पीठासीन अधिकारी- (Sarvesh Kumar Pandey), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP04748

Warrant or Summons Criminal Case/482/2022

UTTAM KUMAR Vs. SUMITRA DEVI

01.08.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है और उसके विद्वान अधिवक्ता भी अनुपस्थित हैं। बारम्बार पुकार के उपरान्त भी परिवादी उपस्थित नहीं आया न ही उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये और न ही कोई मौका प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि पत्रावली विगत कई तिथियों से साक्ष्य अन्तर्गत धारा-200 द०प्र०सं० हेतु नियत चल रही है परन्तु परिवादी न तो उपस्थित है और न ही कोई साक्ष्य अन्तर्गत धारा-200 द०प्र०सं० में प्रस्तुत किया जा रहा है। परिवादी के कृत्य से ऐसा प्रतीत होता है कि वह वाद चलाने का इच्छुक नहीं है। अतः परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा-203 द०प्र०सं० में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

प्रथम अति० सिविल जज(जू०डि०)/

जे०एम०, कसया-कुशीनगर।